न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं भू अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 17/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/32

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
जमे खान पुत्र राणे खान जाति सिन्धी मुसलमान निवासी रेवाड़ा मैया तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.खम्मू खां पुत्र बगसा 2.नसीर खां पुत्र बगसा 3.फते खां पुत्र बगसा 4.बाबु खां पुत्र बगसा 5.भंवरा पुत्र राणा खां 6.रेशम खां पुत्र बगसा 7.रिमू पुत्र राणा खां 8.सफी खां पुत्र बगसा जाति मुसलमान निवासी रेवाड़ा मैया तहसील पचपदरा 9.सेण्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया शाखा बालोतरा 10.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री मुनीर अली पठान अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री जोबिन खां अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 से 8
3. विप्रार्थी संख्या 9 व 10 अनुपस्थित

:–आदेश:–

दिनांक 25/07/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम रेवाड़ा मैया तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 144 क्षेत्रफल 5.2852 हैक्टयर भूमि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 8 की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है। विवादित आराजी में अशुद्व नाम जसा वल्द राणा खां दर्ज कर लिया गया,जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम जमे खान पुत्र राणे खान है,लेकिन अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अंत प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी में दायर अशुद्व नाम प्रविष्टि जसा के स्थान पर सही नाम जमे खा इन्द्राज करवानें हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

2.प्रार्थी का आवेदन–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिए रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया। विप्रार्थी के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। अधिवक्ता श्री जोबिन खां द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 से 8 की ओर से वकालतनामा मय इकबाली जवाब पेश किया गया,जो शामिल मिसल किया गया। विप्रार्थी संख्या 10 की ओ से जवाब पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 09 द्वारा जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बन्द किया गया।

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए वक्त बहस निवेदन किया कि ग्राम रेवाड़ा मैया तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 144 क्षेत्रफल 5.2852 हैक्टयर भूमि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 8 की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है। विवादित आराजी में अशुद्व नाम जसा वल्द राणा खां दर्ज कर लिया गया,जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम जमे खान पुत्र राणे खान है,लेकिन अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अशुद्व प्रविष्टि एक एरर एपिरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रेकर्ड है,जो कि एक लिपिकीय त्रुटिवंश दर्ज हो रखा है,जबकि अन्य सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का वास्तविक नाम जमे खान दर्ज है,लेकिन विवादित आराजी में प्रार्थी के अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थी को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का परिलाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। अन्तः में निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी में अशुद्व नाम जसा पुत्र राणा खां के स्थान पर सही नाम प्रविष्टि जमे खां पुत्र राणे खां इन्द्राज किए जाने के आदेश किए जावें।

4.विप्रार्थी संख्या 1 से 8 अधिवक्ता ने वक्त बहस निवेदन किया कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 8 एक ही परिवार के सदस्य है। विवादित आराजी में प्रार्थी का अशुद्व नाम इन्द्राज हो रखा है,जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम जमे खा है। विवादित आराजी में प्रार्थी का अशुद्व नाम प्रविष्टि के स्थान पर जमे खां पुत्र राणे खां दुरूस्त किया जाता है,तो विप्रार्थी को आपति नहीं है।

5.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि ग्राम रेवाड़ा मैया तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 144 क्षेत्रफल 5.2852 हैक्टयर भूमि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 8 की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है,जिसमें प्रार्थी का नाम जसा पुत्र राणा खां इन्द्राज हो रखा है,जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड प्रति,परिवार राशन–कार्ड प्रति,भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र प्रति,बैंक डायरी प्रति में प्रार्थी का नाम जमे खां दर्ज है तथा विवादित आराजी के सहखातेदार विप्रार्थी संख्या 1 से 8 जो कि प्रार्थी के परिवार के सदस्य है,,ने अपने इकबाली जवाब में स्वीकार किया है कि विवादित आराजी में प्रार्थी का अशुद्व नाम जमा दर्ज है,जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम जमे खां है तथा रिकॉर्ड में दुरूस्ती किए जाने पर उन्हे आपति नही है,जो कि अपने आप में पर्याप्त है कि प्रार्थी का विवादित आराजी में अशुद्व नाम दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं इकबाली जवाब से भी साबित है कि प्रार्थी विवादित आराजी में अशुद्व नाम प्रविष्टि को दुरूस्त करवाने का हकदार बनता है। विप्रार्थी संख्या 10 तहसीलदार पचपदरा द्वारा भी अपने जवाब में प्रार्थी का अशुद्व नाम जमा खां के स्थान पर जमे खां दुरूस्त किए जाने की

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

अनुशंष की गई है। इस प्रकार प्रार्थी अपना आवेदन–पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में बखूबी सफल रहा है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन–पत्र स्वीकार योग्य है।

06.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी विवादित भूमि में अपना अशुद्व नाम जमा खां के स्थान पर सही नाम प्रविष्टि जमें खां दुरूस्त करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम रेवाड़ा मैया तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 144 क्षेत्रफल 5.2852 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी का अशुद्व नाम प्रविष्टि जमा पुत्र राणा के स्थान पर सही नाम प्रविष्टि जमें खां पुत्र राणे खां दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है,शेष बदूस्तर रहेंगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)बालोतरा
25/7/25

आदेश आज दिनांक 25/07/25 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)बालोतरा
25/7/25